



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 330/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2019-20

दिनांक 27/02/2020

प्रति,

कुलसचिव,
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय,
इन्दौर-देवास, बाय पास,
ग्राम अरंडिया, इंदौर (म.प्र.)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समीक्षित शुल्क विषयक।

—00—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10) (ख) एवं (ड़) में विनिर्दिष्ट प्रावधानान्तर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा सत्र 2019-20 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना की समीक्षा आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर की गयी। शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.02.20 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर के द्वारा सत्र 2019-20 के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना की समीक्षा के संबंध में की गयी अनुशंसाओं का आयोग की बैठक दिनांक 04.02.20 में अनुमोदन किया गया।

आयोग द्वारा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	योग
Engineering					
1	Diploma	0.37	0.32	0.05	0.37
2	B.tech	0.30	0.25	0.05	0.30
3	M.Tech	0.410	0.349	0.062	0.410
Pharmacy					
4	Diploma	0.840	0.64	0.11	0.75
5	B.pharma	0.71	0.55	0.10	0.65
6	M.pharma	0.680	0.47	0.08	0.55
Business					
7	BBA	0.230	0.19	0.04	0.23
8	MBA	0.31	0.26	0.05	0.31
Computer					
9	BCA	0.230	0.19	0.04	0.23
10	MCA	0.33	0.28	0.05	0.33
11	DCA	0.090	0.08	0.01	0.09
12	PGDCA	0.090	0.08	0.01	0.09
Commerce					
13	B.com	0.190	0.16	0.03	0.19
14	M.com	0.190	0.16	0.03	0.19
Arts					
15	BA	0.170	0.14	0.03	0.17
16	MA	0.18	0.15	0.03	0.18

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय,, इंदौर
 शैक्षणिक सत्र 2019-20 शुल्क समीक्षा आदेश

Science					
15	B.Sc.	0.19	0.16	0.03	0.19
16	M.Sc.	0.19	0.16	0.03	0.19
Agriculture Science					
17	B.Sc. (Agri)	0.64	0.54	0.10	0.64
18	M.Sc. (Agri)	0.60	0.42	0.08	0.50
Education					
19	B.Ed.	0.600	0.51	0.09	0.60
Fashion Design					
20	B.Sc.	0.400	0.25	0.05	0.30
21	M.Sc.	0.45	0.25	0.05	0.30
22	Diploma	0.200	0.13	0.02	0.15
Social Work					
23	BSW	0.25	0.17	0.03	0.20
24	MSW	0.25	0.17	0.03	0.20
Medical Surgery					
25	BHMS	1.600	1.06	0.19	1.25
Law					
26	BALLB	0.33	0.25	0.05	0.30
27	LLB	0.38	0.25	0.05	0.30
Architecture					
28	Architecture	0.770	0.51	0.09	0.60

नोट - उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2019-20 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।

यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

सचिव

पृ. क्र. 381/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आ/2019-20
 प्रतिलिपि-

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल
 भोपाल, दिनांक 27/04/2020

1. कुलपति, श्री सत्य साई विश्वविद्यालय, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
3. आई.टी.प्रकोष्ठ की ओर इस निर्देश के साथ कि शुल्क समीक्षा आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

सचिव